न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश(द्रुतगामी न्यायालय–प्रथम), अम्बेडकरनगर।

CNR NO.UPAN010044772026

Bail Application/624/2026

संजय जायसवाल आयु लगभग 55 वर्ष पुत्र गुरू प्रसाद जायसवाल निवासी अब्दुल्लापुर, शहजादपुर, थाना को0 अकबरपुर, जनपद– अम्बेडकर नगर।

–––––––––––––– **प्रार्थी/अभियुक्त।**

प्रति

उत्तर प्रदेश सरकार।––––––––––––––––––––––––––––––––––**अभियोजक।**

मुकदमा अपराध संख्या–0777/2024
धारा–420,506 भा0दं0सं0
थाना–को0 अकबरपुर, जनपद–अम्बेडकर नगर।

01.06.2026

(1). हस्तगत **अग्रिम** जमानत आवेदन प्रार्थी/अभियुक्त **संजय जायसवाल** द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–0777/2024 अन्तर्गत धारा–420,506 भा0दं0सं0, थाना–को0 अकबरपुर, जनपद–अम्बेडकर नगर के अर्न्तगत प्रस्तुत किया गया है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

(2). मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दांडिक) के तर्क सुने तथा सम्बन्धित प्रपत्रों का परिशीलन किया।

(3). संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थिनी विरैता देवी पत्नी सुरेश कुमार ग्राम चंगुल चेहरा अब्दुल्लाहपुर थाना कोतवाली अकबरपुर जिला अम्बेडकरनगर की निवासिनी है तथा सीधी साधी घरेलू महिला है और प्रार्थिनी के पति नशे के आदी है। प्रार्थिनी के पति सुरेश कुमार अपने पिता स्व0 रामनरेश की अकेली संतान है और स्व0 रामनरेश के बहन का लड़का पप्पू उर्फ अखिलेश पुत्र मुन्नर निवासी ग्राम पटौहा गानेपुर थाना मालीपुर जिला अम्बेडकरनगर प्रार्थिनी के घर रिश्ता होने के कारण आता जाता था और उक्त पप्पू उर्फ अखिलेश का नाम ग्राम पटौहा गानेपुर के परिवार रजिस्टर व मतदाता सूची में नाम अखिलेश पुत्र मुन्नर दर्ज है तथा वहाँ के परिवार रजिस्टर में उसकी पत्नी का नाम रीशा व बच्चों का नाम काजल, संतोष, रचित व लकी है। प्रार्थिनी के पति की जमीन व मकान जो शहजादपुर में है और सारी जमीन नगर पालिका अकबरपुर में है तथा करोड़ो की कीमत है। अकबरपुर के भू. माफिया जमीन के दलाल मन्नू राजभर पुत्र अज्ञात, मंसूर खान उर्फ कल्लू पुत्र अख्तर निवासी ग्राम अमरौला अकबरपुर अम्बेडकरनगर व संजय जायसवाल पुत्र अजात निवासी ग्राम शाहजहाँपुर थाना को अकबरपुर अम्बेडकरनगर व 6–7 व्यक्ति नाम पता अज्ञात उपरोक्त लोग प्रार्थिनी के पति की हालत का फायदा उठाते हुए स्व0 रामनरेश की बहन श्यामा का लड़का पप्पू उर्फ अखिलेश निवासी ग्राम पटौहा गानेपुर थाना मालीपुर जिला अम्बेडकरनगर को छल, जालसाजी व कूटरचना करके फर्जी कागजात को असली के रूप में प्रयोग करते हुए पप्पू उर्फ अखिलेश को प्रार्थिनी के ससुर का लड़का बनाते हुए प्रार्थिनी के पति की जमीन हड़पने की

Digitally signed by PARVIND KUMAR
Date: 2026.06.01 17:47:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

नीयत से पप्पू उर्फ अखिलेश का आधार कार्ड पप्पू पुत्र रामनरेश के नाम से 1/12/2020 को प्रार्थिनी के ससुर रामनरेश की मृत्यु दिनांक 20/3/2020 के बाद बनवा लिये। उक्त आधार कार्ड के आधार पर उक्त मन्नू राजभरए मंसूर खान उर्फ कल्लू तथा संजय जायसवाल पप्पू उर्फ अखिलेश के साथ मिलकर पप्पू का नाम प्रार्थिनी के परिवार रजिस्टर में नगर पालिका परिषद अकबरपुर अम्बेडकरनगर के कर्मचारियों से मिलकर फर्जी रूप से दर्ज करवा दिये। उक्त फर्जी परिवार रजिस्टर के आधार पर विपक्षी मुन्नु जायसवालए मंसूर खान उर्फ कल्लूए संजय जायसवाल व 6–7 व्यक्ति अज्ञात पप्पू उर्फ अखिलेश के साथ मिलकर छल, धोखा, जालसाजी व कूटरचना करके प्रार्थिनी के पति का मकानए मकान सं0–25 वार्ड नं0–14 यानी 4461 वर्ग मीटर का दिनांक 4/1/2021 को एक एग्रीमेन्ट/इकरारनामा राधेश्याम आदि के नाम व दिनांके 29/6/2021 को उसी मकान सं0.25 की रजिस्ट्री बजरंग कुमार व कृष्ण कुमार पुत्रगण दयाराम के नाम तथा दिनांक 1/7/2021 को उक्त मकान सं0.25 का एग्रीमेन्ट/ इकरारनामा सादिक अली व मंजूर खान अख्तर के नाम करवा लिया तथा प्रार्थिनी के पति की खतौनी की जमीन का भी कई लोगो के नाम एग्रीमेन्ट/ इकरारनामा करवा लिये। उक्त मंजू जायसवालए मंसूर खान व संजय जायसवाल व 6–7 व्यक्ति अज्ञात पप्पू उर्फ अखिलेश के साथ मिलकर छल, धोखा, कूटरचना और जालसाजी करके फर्जी कागजात का असली के रूप में प्रयोग करके प्रार्थिनी के ससुर की बहन के लड़के को ससुर का लड़का बनाकर प्रार्थिनी के पति की जमीन हड़प लेना चाहते है जो गम्भीर प्रकृति का व संजेय अपराध है। प्रार्थिनी ने जब उक्त सारी घटना की सूचना उच्चाधिकारियों को अपराध है। प्रार्थिनी ने दी तो उक्त दलालों द्वारा दिनांक 25/7/2023 को प्रार्थिनी के घर आकर यह धमकी दी गयी कि यदि इस घटना की शिकायत कहीं पर करोगी तो तुम्हे व तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। घटना उपरोक्त की सूचना प्रार्थिनी ने स्थानीय थाने पर दिया जहाँ से कोई कार्यवाही न होने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को भी कई बार प्रार्थना पत्र दिया और दिनांक 23/7/2021 को पुलिस अधीक्षक महोदय अम्बेडकरनगर को जरिए रजिस्टर्ड डाक घटना की सूचना दिया परन्तु कोई कार्यवाही नही की गयी। तब यह प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत कर रही है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थिनी की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने का आदेश पारित करने की कृपा की जावे।

(4). अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत कर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है और उपरोक्त मुकदमे में फर्जी तथ्यों के आधार पर नामजद करा दिया गया है। प्रार्थी की प्रकरण में कोई संलिप्तता नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोगिनी मुकदमा द्वारा लोगों के बताने के आधार पर प्रार्थी को नामजद किया गया है जबकि सम्पूर्ण विवेचना के दौरान कोई ऐसा अभिलेख प्राप्त नहीं हो सका जो यह स्पष्ट कर सके कि प्रार्थी द्वारा अभियोगी की मुकदमा के साथ कोई धोखा धड़ी की गयी या अवैध धन प्रार्थी के खाते में आया। विवेचक द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध अंतर्गत धारा 420, 506 भा0दं0वि0 में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। प्रार्थी को किसी भी न्यायालय द्वारा कभी भी दण्डित नहीं हुआ है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। प्रार्थी गांव का सीधा साधा व्यक्ति है। कभी भी अपनी अग्रिम जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। अग्रिम जमानत के उपरानत न्यायालय के आदेशों एवं निर्देशों का अक्षरशः पालन करता रहेगा। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना कि प्रार्थी को दौरान विचारण मुकदमा अग्रिम जमानत पर रिहा करने की कृपा की जावे।

(5). उभय पक्ष के तर्को एवं जमानत पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख तथा अभियोजन प्रपत्रों

के सम्यक् परिशीलन से विदित है कि हस्तगत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आवेदक अभियुक्त संजय जायसवाल द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर प्रार्थिनी/वादिनी मुकदमा के ससुर की मृत्यु 20.03.2020 के बाद उसके पति के नशे की हालत का फायदा उठाकर छल, जालसाजी व कूटरचना करके फर्जी कागजात को असली के रूप में प्रयोग करते हुए उसके पति की जमीन व मकान सं0 25 वार्ड नं014 यानी 4461 वर्ग मीटर का दिनांक 04.01.2021 को एक एग्रीमेन्ट/इकरारनामा राधेश्याम आदि के नाम व दिनांक 29.06.2021 को उसी मकान सं0 25 की रजिस्ट्री बरजंग कुमार व कृष्ण कुमार पुत्रगण दयाराम के नाम तथा दिनांक 01.07.2021 को उक्त मकान सं025 का एग्रीमेन्ट/इकरारनामा सादिक अली व मंजूर खान अख्तर के नाम करवा लिया और उसके पति की खतौनी जमीन का कई लोगों के नाम एग्रीमेन्ट करवा लिया जाना कहा गया है। वादिनी ने अपने कथन के समर्थन में नकल परिवर रजिस्टर, वारिस प्रमाण पत्र, प्रतिलिपि आदेश दिनांक 13.06.2025, शपथ पत्र सुरेश कुमार आदि कागजात दाखिल किये हैं। आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। सह– अभियुक्त की जमानत खारिज हो चुकी है। इस प्रकार आवेदक अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर प्रथम दृष्टया कारित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/ अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त संजय जायसवाल द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–0777/2024 अन्तर्गत धारा–420,506 भा0दं0सं0, थाना–को0 अकबरपुर, जनपद–अम्बेडकर नगर के मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन **निरस्त** किया जाता है।

दिनांकः–01.06.2026

(परविन्द कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित–प्रथम)
अम्बेडकर नगर।
जे0ओ0 नं0 यूपी 1837